बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
(समाज कल्याण निदेशालय)

आवश्यक सूचना

किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 27 एवं बिहार किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 के नियम 15 के अन्तर्गत देख–रेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के आवासन, विकास एवं पुनर्वास इत्यादि हेतु राज्य के प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति के गठन करने का प्रावधान है। समिति में पाँच सदस्यों में से एक अध्यक्ष होंगे। वर्तमान में राज्य के 33 जिले में निम्न प्रकार से बाल कल्याण समिति का गठन/पुनर्गठन किया जाना है:–

क्रमांक	जिला का नाम	रिक्त पद
1	मधेपुरा, किशनगंज, शेखपुरा, भागलपुर, भोजपुर, नवादा, नालन्दा, जहानाबाद, कैमूर, सहरसा, अररिया, समस्तीपुर, बेगूसराय, पूर्णियाँ, गोपालगंज, गया, सीवान, जमुई, पूर्वी चम्पारण, लखीसराय, बाँका, शिवहर, सुपौल, सीतामढ़ी, मधुबनी, पटना एवं अरवल	एक अध्यक्ष एवं चार सदस्य (कुल 5 पद)
2	बक्सर, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, छपरा एवं दरभंगा	संबंधित जिले में 2–2 पद रिक्त है।
3	प0. चम्पारण	संबंधित जिले में 1 पद रिक्त है।

बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में चयन हेतु इच्छुक व्यक्ति वांछित कागजात संलग्न करते हुए अपना आवेदन समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अंदर बेवसाईट–http://jobs.scpsbihar.in/inner/currentopening_dsw.asp पर कर सकते हैं। आवेदक की आयु की गणना 01.10.2017 से की जायेगी। विदित हो कि आवेदन ऑन–लाईन ही जमा किया जाना है। इस संबंध में यदि कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो दूरभाष संख्या–0612–2207556 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों से संबंधित अर्हताएँ किशोर न्याय नियमावली, 2017 के नियम 15 एवं नियम 88(5) में प्रावधानित है। बिहार किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 विभागीय बेवसाईट–www.socialwelfare.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

15/10/17

(सुनील कुमार)
अपर सचिव–सह–निदेशक,
समाज कल्याण निदेशालय।

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
(समाज कल्याण निदेशालय)

ज्ञापांकः–10 / प्र0गृ0स्था0–04 / 2015– 2105 पटना, दिनांकः– 30-10-17

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, समाज कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। आपसे अनुरोध है कि सूचना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

28/10/17
(सुनील कुमार)
अपर सचिव–सह–निदेशक,
समाज कल्याण निदेशालय।